डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय , किशनगंज के निर्माण कार्य में कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को उन्हें डिबार मुक्त करने के लिए दिनांक– 28.08.2018 को आहूत निगम निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थिति:-

1.	**श्री अमित कुमार,** प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	अध्यक्ष
2.	**श्री लक्ष्मी नारायण दास,** अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।	सदस्य
3.	**श्री रवि शंकर चौधरी,** संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना।	सदस्य
4.	**श्री राम सागर प्रसाद,** मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	सदस्य
5.	**श्री तपेश्वर प्र0 साह,** महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	सदस्य
6.	**श्री रंजित प्र0 सिंह,** महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	सदस्य

तकनीकी प्रतिवेदन:–

(i) डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के लिए 350.4 एकड़ जमीन का हस्तान्तरण, इसका सीमांकन, कन्टुर सर्वे, मिट्टी जाँच तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से प्राप्त विभिन्न संकाओ/विभागों के लिए space requirement के आधार पर गठित तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन पर कृषि विभाग के पत्रांक–2803 दिनांक–29.05.2013 के द्वारा ₹562.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त RFP आमंत्रित कर कार्य हेतु डी0डी0एफ0 कन्सलटेन्ट्स, प्रीतमपुरा, नई दिल्ली को परामर्शी के रूप में चयनित किया गया।

(ii) परामर्शी से प्राप्त D.P.R. के आधार पर ₹570.38 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मूल) प्रदान की गयी। तत्पश्चात् नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर मे0 सापूरजी पालुनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0, कोलकाता को 18.25% अधिक दर पर निदेशक पर्षद द्वारा गठित प्राधिकृत निविदा समिति के द्वारा कार्य आवंटित किया गया। तदनुसार निगम के पत्रांक 2109 दिनांक 13.12.2013 द्वारा मे० सापूरजी पालुनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0, कोलकाता को ₹593.10 करोड़ की राशि का कार्यावंटन आदेश निर्गत किया गया। उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया द्वारा SBD के तहत एकरारनामा सं0– SBD 01/2013–14 दिनांक–26.12.2013 को सम्पन्न किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्यपूर्ण करने की अवधि 24 माह यानि दिनांक: 25.12.2015 तक निर्धारित थी।

(iii) एकरारनामा के मदों के अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर एवं बाह्य भू–खंडों के आंतरिक जल निस्सरण हेतु नाली आदि का निर्माण एवं अधिक दर पर निविदा निष्पादित राशि को समावेशित कर पुनरीक्षित अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासी विभाग को समर्पित किया गया। जिसके आलोक में कृषि विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–5124, दिनांक–14.11.2014 के द्वारा ₹683.392 करोड़ मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा दिनांक–31.07.2017 को ₹656,45,62,400.00 मात्र की प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके कारण योजना का कार्यान्वयन विलंब से हुआ है, जिसके लिए संबंधित तत्कालीन महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 एवं डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली से निगम के पत्रांक–433, दिनांक: 15.02.2018 के द्वारा प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राक्कलन विलंब से जमा करने का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण किया गया है। तत्पश्चात् कृषि विभाग, बिहार सरकार एवं BAU, सबौर द्वारा Horticulture and Plantation work में कुछ परिवर्तन करते हुए नये प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके आलोक में पुनः प्राक्कलन को संशोधित किया गया तथा ₹656,97,75,710.00 मात्र का द्वितीय पुनरीक्षित

तकनीकी स्वीकृति दिनांक– 31.10.2017 को प्रदान की गयी। जिसके आलोक में निदेशक पर्षद के अनुमोदनोपरान्त Horticulture and Plantation work के साथ–साथ सभी आवश्यक मदों का पूरक परिमाण विपत्र दिनांक–24.12.2017 एवं दिनांक–03.01.2018 को पूरक एकरारनामा करने हेतु पी0आई0यू0, पूर्णिया को भेजा गया था।

कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने का अद्यतन प्रस्तावः–

दिनांकः 02.04.2018 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति, दिनांकः 04.04.2018 को आहूत निगम निविदा समिति एवं 04.04.2018 को आहूत प्राधिकृत निविदा समिति की बैठक में ड्राइंग विलंब से उपलब्ध कराने के कारण कार्य पूर्ण कराने में विलंब होने, दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने एवं सभी ड्राइंग अब तक उपलब्ध नहीं कराने के लिए कार्य के परामर्शी परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार करने के साथ पुस्ताकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने के लिए उक्त पुनर्निमाण कार्य परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली द्वारा उनके खर्च पर कराया जाये अन्यथा एक माह के अंदर पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर उनके परामर्शी शुल्क से राशि वसूल कर कार्य कराने की अनुशंसा निदेशक पर्षद से की गई थी।

दिनांकः 05.04.2018 को आहूत निदेशक पर्षद की 42वीं बैठक में उपरोक्त वर्णित अनुशंसा के आलोक में कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को ड्राइंग विलंब से उपलब्ध कराने के कारण कार्य पूर्ण कराने में विलंब होने, दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने एवं सभी ड्राइंग उक्त समय तक उपलब्ध नहीं कराने के कारण डिबार करने का निर्णय लिया गया था साथ ही पुस्ताकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का दोषपूर्ण ड्राइंग उपलब्ध कराने के लिए उक्त पुनर्निमाण कार्य परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली द्वारा उनके खर्च पर कराया जाये अन्यथा एक माह के अंदर पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर उनके परामर्शी शुल्क से राशि वसूल कर कार्य कराने का निर्णय भी निदेशक पर्षद द्वारा लिया गया था।

निदेशक पर्षद के निर्णय के आलोक में मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांकः–1280, दिनांकः 25.04.2018 के द्वारा कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार करते हुए पुस्तकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का पुनर्निर्माण कार्य एक महीने के अंदर अपने खर्च पर करने का निदेश दिया गया था, उनके द्वारा ऐसा नहीं करने पर परामर्शी शुल्क से इसकी वसूली का निदेश उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को दिया गया था।

डी0डी0एफ0 कन्सलटेन्ट्स, प्रीतमपुरा, नई दिल्ली के द्वारा समर्पित अधियाचना की समीक्षाः–

कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली ने अपने पत्रांकः– DDF/BR/BSBCCL/18/156, दिनांकः 26.06.2018 द्वारा Minutes of meeting की छायाप्रति (संलग्न) समर्पित करते हुए अनुरोध किया है कि अब उनके पास उक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई की ड्राइंग लंबित नहीं है साथ ही पुस्तकालय एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग का पुनर्निर्माण कार्य उनके द्वारा अपने खर्च पर करा दिया गया है। अतएव, मुझे डिबार मुक्त किया जाय। उक्त के आलोक में निगम के पत्रांक–130, दिनांकः 02.07.2018 द्वारा उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 से प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके अनुपालन में उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 ने अपने पत्रांकः–303, दिनांकः 09.07.2018 में उल्लेख किया है कि डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परामर्शी मे0

डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली के द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सभी ड्राईंग्स संवेदक मे0 सापूरजी पालनजी एण्ड कंपनी प्रा0 लि0 को उपलब्ध करा दिया गया है तथा पुस्तकालय कक्ष एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग के पुनर्निर्माण का कार्य (MEP सहित) भी अनुमोदित प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करा दिया गया है। ससमय कार्य पूर्ण करने एवं निर्माण कार्य से संबंधित अब कोई भी डिजाईन लंबित नहीं रहने के कारण उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्माण कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

<u>दिनांकः 23.07.2018 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसाः–</u>

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 19.07.2018 एवं 20.07.2018 को महाप्रबंधक(उतर), महाप्रबंधक(गुण नियंत्रण) के साथ स्थल भ्रमण यात्रा के क्रम में डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के निर्माण कार्यो का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्यो में उत्पन्न त्रुटियों का सुधार कर दिया गया है, परन्तु निरीक्षण के क्रम में महाविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति उपलब्ध नही थे। अतएव, त्रुटियों के निराकरण के उपरांत महाविद्यालय की ओर से सक्षम प्राधिकार की सम्पुष्टि अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 पूर्णिया सात दिनों के अन्दर महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकार से सम्पुष्टि पत्र प्राप्त कर निगम कार्यालय को समर्पित करेंगे। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही की प्रति प्राचार्य, डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज को भेजी जाय। यदि सात दिनों के अन्दर प्राचार्य से कोई आपति प्राप्त नही होती है तो वैसी स्थिति में मुख्य महाप्रबंधक तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक कर परामर्शी डी0डी0एफ कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा के साथ निगम निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

<u>दिनांकः 23.07.2018 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा का अनुपालनः–</u>

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया को पत्र/ई–मेल के माध्यम् से निगम के पत्रांकः–2203, दिनांकः 24.07.2018 के द्वारा उक्त से संबंधित कार्यवाही भेजी गई, जिसमें महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकार से सम्पुष्टि पत्र प्राप्त कर निगम मुख्यालय को सूचित करने का निदेश दिया गया। कार्यवाही की प्रति प्राचार्य, डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई।

उक्त क्रम में प्राचार्य, डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के द्वारा अपने पत्रांक–450(A)/D.K.A.C., Kishanganj, dated: 03.08.2018 से निदेशक (वर्क एण्ड प्लांट), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचित किया है कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना एवं महाविद्यालय के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के पुस्तकालय कक्ष एवं व्याख्यान कक्ष के फॉल्स सिलिंग के कार्यों की त्रुटियों को सुधार दिया गया है और अब इससे अधिक सुधार संभव नहीं है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज अब हस्तांतरण के लिए पूर्णरूपेण तैयार है, जिसके आलोक में निदेशक (वर्क एण्ड प्लांट), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के द्वारा अपने पत्रांकः–782, दिनांकः 03.08.2018 से उक्त कार्यवाही के आलोक में मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

अतएव, उपरोक्त वर्णित तथ्यों की विस्तृत समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>निगम निविदा समिति का निर्णयः—</u>

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 06.08.2018 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0—09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा प्राधिकृत निविदा समिति से की जाती है।

13. निगम निविदा समिति की इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर सूचनार्थ डाली जाय।

(रंजित प्र0 सिह) महाप्रबंधक (उत्तर) बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	(तपेश्वर प्र0 साह) महाप्रबंधक (वित्त) बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	(राम सागर प्रसाद) मुख्य महाप्रबंधक बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।
(रवि शंकर चौधरी) संयुक्त सचिव-सह-आ0 वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।	(अमित कुमार) प्रबंध निदेशक बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।